



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234888
CG-DL-E-06042022-234888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1560]
No. 1560]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1629(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 60.630 से कि.मी. 99.660 (उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद कार्यालया जवळ, सिल्लोड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 15/07/2021 " को "महाराष्ट्र टाईम्स" और "द टाईम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 60.63 से कि.मी. 99.66 (उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद कार्यालया जबळ, सिल्लोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिल्लोड				
	गांव का नाम: अन्वी				
1	236	निजी	कृषिक	0.05	प्रसाद अरविंद जोशी (२३६)
2	237	निजी	कृषिक	0.0575	सुनिता अनिल बागड, दत्तु पांडुरंग उरसाळ (२३७)
	गांव का नाम: बाळापुर				
3	67	निजी	कृषिक	0.1216	अजिजाबेगम नवाब मोहम्मद, पद्माकर बाबुराव जैवाळ, अरुणाबाई शिवाजी शिंदे, अनिता गजानन मोरे, सुनिता आनंदा चिकटे, रमेश शिवाजी शिंदे, मनीषा संतोष कोंडके, पुजा शिवाजी शिंदे, मंगलाबाई प्रतापसिंग चव्हाण, संभाजी दुर्गादास भोसले, नवलसिंग रायसिंग चव्हाण, ज्ञानेश्वर ताराचंद

					मोहीते, गोपाल ताराचंद मोहिते (६७)
4	78	निजी	कृषिक	0.39	फैजल मोहम्मद सलीम मलिक (७८)
	गांव का नाम: पालोद				
5	124	सरकारी	अकृषिक	0.08	सरकार (१२४)
6	188	निजी	कृषिक	0.025	शेख रफीक शेख हनीफ (१८८)
7	190	निजी	कृषिक	0.01	कृष्णा विठोबा, पंडीत शंकर, माणिक शंकर, सिध्दार्थ शंकर, संजय शंकर (१९०)
8	245	निजी	कृषिक	0.005	बाबूराव म्हातारजी कटकर, तुकाराम गंगाराम कटकर, मानिकराव तुकाराम कटकर, बाजीराव तुकाराम कटकर, अंजनबाई सुखदेव उसरे, अलकाबाई रामराव कटकर, शेषराव रामराव कटकर, भीलाजू रामराव कटकर, विशाल रामराव कटकर (२४५)
9	247	निजी	कृषिक	0.065	ज्ञानेश्वर श्रीपत समिंद्रे (२४७)
	गांव का नाम: राजनी				
10	16	निजी	कृषिक	0.05	सकीनाबी गुलबॉ (१६)
11	18	निजी	कृषिक	0.0973	महमंद शरीफ मस्तानखॉ पठाण, मस्तानखॉ महेबुबखॉ, सलीमखॉ महेबुबखॉ, सांडेखॉ गफुरखॉ पठाण, ताहेराबी सांडेखॉ पठाण, आस्माबी सांडेखॉ पठाण, साजेदाबी सांडेखॉ पठाण, अजुमबि सांडेखॉ पठाण, हिनाबी सांडेखॉ पठाण, सीमाबी सांडेखॉ पठाण, सायमाबी सांडेखॉ पठाण, फरहानखा सांडेखॉ पठाण, फुलसुमबि सांडेखॉ पठाण,

					विदेश राजेश दसरे (१८)
			कुल	0.9514	

[फा. सं. 12037/32/2017-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1629(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH753F on the stretch of land from Km. 60.630 to Km. 99.660 (Sub-Divisional office, Near Nagar Parishad office, Sillod) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Maharashtra Times” and “The Times of India” both dated 15/07/2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH753F in the stretch of land from Km. 60.630 to Km. 99.660 (Sub-Divisional office, Near Nagar Parishad office, Sillod) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: AURANGABAD					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sillod				
	Village: Anvi				
1	236	Private	AGRICULTURE	0.05	Prasad Arvind Joshi 236
2	237	Private	AGRICULTURE	0.0575	Sunita Anil Bagad, Dattu Pandurangh Urasal 237
	Village: Balapur				
3	67	Private	AGRICULTURE	0.1216	Ajijabegam Navab Mohmmad,

					Padamakar Baburao Jyval, Arunabai Shivaji Shinde, Anita Gajanan More, Sunita Aananda Chikate, Ramesh Shivaji Shinde, Manisha Santosh Kondake, Puja Shivaji Shinde, Manglabai Pratapsigh Chawan, Sambhaji Durgadas Bhosale, Navalsigh Raisigh Chawan, Dyaneshwar Tarachand Mohite, Gopal Tarachand Mohite 67
4	78	Private	AGRICULTURE	0.39	Faijal Mohmmad Salim Malik 78
	Village: Palod				
5	124	Government	NON-AGRICULTURE	0.08	Government 124
6	188	Private	AGRICULTURE	0.025	Sheikh Rafik Shiekh Hanif 188
7	190	Private	AGRICULTURE	0.01	Krushna Vithoba, Pandit Shankar, Manik Shankar, Siddharth Shankar, Sanjay Shankar 190
8	245	Private	AGRICULTURE	0.005	Baburao Mhatarji Katkar, Tukaram Gangaram Katkar, Manikrao Tukaram Katkar, Bajirao Tukaram Katkar, Anjanabai Sukhdev Usare, Alkabai Ramrao Katkar, Sheshrao Ramrao Katkar, Vilas Ramrao Katkar, Vishal Ramrao Katkar 245
9	247	Private	AGRICULTURE	0.065	Dnyaneshwar Shripat Samindre 247
	Village: Ranjani				
10	16	Private	AGRICULTURE	0.05	Sakinabi Gulkha 16
11	18	Private	AGRICULTURE	0.0973	Mahmand Sharif Mastankha Pathan, Mastankha Mahebubkha, Salimkha Mahebubkha, Sandekha Gafurkha Pathan, Taherabi Sandekha Pathan, Asmabi Sandekha Pathan, Sajedabi Sandekha Pathan, Ajumabi Sandekha Pathan, Hinabi Sandekha Pathan, Simabi Sandekha Pathan, Saimabi Sandekha Pathan, Farhankha Sandekha Pathan, Fulsumbi Sandekha Pathan, Viresha Rajesh Dasare 18
			TOTAL	0.9514	

[F. No. 12037/32/2017-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director